सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चूरू
पीठासीन अधिकारी :– सुश्री श्वेता कोचर आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	फैसल दिनांक
893/2016	13.12.2016	23.11.2017

1. रामचन्द्र
2. कानाराम

पुत्रगण चिमनाराम जाति जाट निवासी सोमासी तहसील व जिला चूरू

–प्रार्थीगण–

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार साहब, चूरू
2. नोरंगराम पुत्र केशराराम जाति जाट
3. मोहनराम पुत्र केशराराम जाति जाट
4. उम्मेदसिंह पुत्र नानूसिंह जाति राजपूत
5. भैरोंसिंह पुत्र सुरजनसिंह जाति राजपूत
6. च्यानणमल पुत्र भादरराम जाति मेघवाल
7. चेतनराम पुत्र रतुराम जाति जाट
8. चन्द्राराम पुत्र नेताराम जाति बावरी
9. हजारी पुत्र नेताराम जाति बावरी
10. मदन पुत्र नेतमाराम जाति बावरी

समस्त निवासीगण सोमासी तहसील व जिला चूरू

–अप्रार्थीगण–

उपस्थितः–
1. अधिवक्ता श्री जगदीश कस्वां प्रार्थीगण
2. अधिवक्ता श्री ललित गौतम अप्रार्थी सं. 2, 3 व 7
3. अधिवक्ता श्री संजय सिहाग अप्रार्थी सं. 4 से 6

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस न्यायालय मे प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नं. 97 तादादी 4 बीघा 4 विश्वा, ख.नं. 125 तादादी 2 बीघा 2 विश्वा, ख.नं. 154 तादादी 14 बीघा 1 विश्वा, ख.नं. 157 तादादी 6 बीघा 1 विश्वा, ख.नं. 170 तादादी 17 विश्वा, ख.नं. 172 तादादी 2 बीघा 12 विश्वा, ख.नं. 176 तादादी 1 बीघा 15 विश्वा कुल तादादी 31 बीघा 12 विश्वा रोही मौजा सोमासी तहसील चूरू में अवस्थित है। यह कि प्रार्थीगण के खातेदारी कृषि भूमियों के पूर्वी दिशा में अप्रार्थी सं. 2, उतर–पूर्वी दिशा में अप्रार्थी सं. 3, पश्चिम दिशा में अप्रार्थीगण सं. 4 व 5, दक्षिण दिशा में अप्रार्थी सं. 6 तथा पूर्वी दिशा में अप्रार्थीगण संख्या 7, 8, 9, 10 की कृषि भूमि स्थित है। यह कि अप्रार्थीगण हर काश्त के मौसम में प्रार्थीगण के साथ सीमा को लेकर विवाद करते रहते हैं तथा जबरन अपनी सीमा से आगे बढते रहते हैं। प्रार्थीगण इस विवाद का स्थायी निदान

उपखण्ड अधिकारी

करवाना चाहते हैं ताकि भविष्य में कभी कोई सीमा का विवाद नहीं हो। सीमा विवाद के चलते प्रार्थीगण के साथ कोई अप्रिय घटना हो सकती है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण के खेत का सीमांकन व पत्थरगढी किये जाने से ही प्रार्थीगण के साथ न्याय हो सकेगा व सीमा विवाद समाप्त हो सकेगा। यह कि प्रार्थीगण के खातेदारी की कृषि भूमिश्यों का रकबा मौके पर जमाबन्दी में वर्णित रकबे के अनुसार नहीं है अपितु प्रार्थीगण की मौके पर राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार 3 बीघा 10 विश्वा कृषि भूमि कम है क्योंकि समस्त अप्रार्थीगण ने चारों तरफ की सीमाओं में प्रार्थीगण के खातेदारी की कृषि भूमि को दबा रखा है। यह कि प्रार्थीगण अप्रार्थीगण को काफी समय से अपने खेतों की दबायी हुई कृषि भूमि को खाली कर सीमांकन व पत्थरगढी करवाने बाबत कहते रहे लेकिन अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण की बात से सहमत होकर पैमाईश व पत्थरगढी नहीं करवाई है।

यह कि प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार, चूरू को एक प्रार्थना पत्र पैमाईश हेतु पेश किया गया तथा प्रार्थीगण से नियमानुसार शुल्क लिया जाकर हल्का पटवारी को सीमाज्ञान बाबत आदेश दिया गया जिसकी फर्द रिपोर्ट दिनांक 10.06.2016 के अनुसार प्रार्थीगण के उपरोक्त सम्पूर्ण खसरा नम्बरान का कुल क्षेत्रफल 31 बीघा 12 विश्वा है जबकि प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि मौके पर स्थित सींव के भीतर 28 बीघा 2 विश्वा है। यह कि प्रार्थीगण अपने खातेदारी की कृषि भूमि का रकबा पूरा करवा कर पैमाईश करवा कर अपने अपने हिस्से की हद तक पत्थरगढी करवाने के अधिकारी हैं। यह कि अप्रार्थीगण ने दिनांक 02.12.2016 को सहमति से सीमांकन व पत्थरगढी करवाने से इन्कार कर दिया गया था इसलिए प्रार्थीगण करे अप्रार्थीगण के खिलाफ प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 02.12.2016 को प्राप्त है तथा प्रार्थना पत्र का आधार प्रार्थीगण का मौके पर रकबा कम होने से है। यह कि विवादित कृषि भूमियां रोही ग्राम सोमासी तहसील क्षेत्र चूरू में स्थित हैं जिनके सम्बन्ध में सुनवाई का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को है तथा प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद उचित न्याय शुल्क पर श्रीमान् जी के समक्ष पेश है।

अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के खातेदारी की कृषि भूमियां खेत खसरा नं. 97, 125, 154, 157, 170, 172 व 174 रोही ग्राम सोमासी तहसील चूरू की कुल रकबा 31 बीघा 12 विश्वा को अप्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि की पैमाईश की जाकर जमाबन्दी के अनुसार मौके पर पूरा किया जाकर सीमाज्ञान करवाया जावे तथा पत्थरगढी किये जाने का आदेश प्रदान फरमाया जावे।

प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की जरिए सम्मन तलबी की गई जिस पर अप्रार्थी सं. 1 की ओर से पैरोकार राज उपस्थिति हुए। अप्रार्थी सं. 2, 3 की ओर से श्री ललित गौतम एडवोकेट ने वकालतनामा व 7 की ओर से अण्डरटेकिंग पेश की एवं अप्रार्थी सं. 4 से 6 की ओर से श्री संजय सिहाग एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया। साथ ही अप्रार्थी सं. 4 से 6 ने स्वयं उपस्थित होकर अंकित किया कि प्रार्थी की कृषि भूमि का नाप कर पत्थरगढी की जाती है तो अप्रार्थी सं. 4 से 6 को कोई आपत्ति नहीं है। अप्रार्थी सं. 8 से 10 पर तामील के बावजूद भी उपस्थित नहीं आने पर न्यायालय समय में बार बार आवाजें लगाई गई परन्तु बिना कोई उचित कारण के अनुपस्थित रहने पर इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

तत्पश्चात् पत्रावली काफी समय तक जवाब में लम्बित चलती रही। अन्ततः अन्तिम अवसर ₹ 200/– कोस्ट पर जवाब अवसर दिया जाने के बाद दिनांक 20.09.17 को अप्रार्थी सं. 2, 3 व 7 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जिसकी प्रति वकील प्रार्थीगण को दिलवाई जाकर शामिल मिसल किया गया।

अप्रार्थी सं. 2, 3 व 7 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमियां प्रार्थीगण के खातेदारी में होने का तथ्य स्वयं प्रार्थीगण को साबित करने हैं। यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित तथ्य सही वर्णित होने से स्वीकार हैं। यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 में वर्णित तथ्य झूठे व बनावटी होने से अस्वीकार हैं। अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण के साथ कभी कोई सीमा विवाद नहीं किया और न ही जबरन अपनी सीमा से आगे बढे हैं। ऐसा कोई सीमा विवाद अप्रार्थीगण ने नहीं किया। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के खेतों के मध्य काफी पुराने बड़े–बड़े वृक्ष, अरणा की सींव व खींफ है। इस सींव को खुद रामचन्द व कानाराम बार–बार काटते रहे हैं। यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 4 में वर्णित तथ्य गलत व झूठे हैं जो अस्वीकार हैं। प्रार्थीगण की 3 बीघा 10 विश्वा भूमि मौके पर कम नहीं है और न ही अप्रार्थीगण ने चारों तरफ की सीमाओं में भूमि दबा रखी है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 5 वर्णित तथ्य गलत व काल्पनिक दर्ज किये हैं। अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण की हितों की सींव को नहीं दबाया है तथा मौके पर वर्षों पुराने खींफ व सींव डली हुई है। इसलिए पत्थरगढी व सीमांकन की कोई आवश्यकता नहीं है।

यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 6 के तथ्य ज्ञान के अभाव में अस्वीकार हैं। अगर कोई मौका रिपोर्ट दिनांक 10.06.2016 की है तो वह अप्रार्थीगण की गैर मौजूदगी में बनाई हुई है जो मान्य नहीं है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 7 में वर्णित तथ्य अस्वीकार हैं। यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 8 के तथ्य अस्वीकार हैं। प्रार्थीगण को कोई सीमांकन व पत्थरगढी का कानूनी अधिकार नहीं है। अतः जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

तत्पश्चात् दिनांक 05.10.2017 को अप्रार्थी सं. 2, 3 व 7 की ओर से वादगत कृषि भूमि के 9 रंगीन फोटो सूची के संलग्न पेश किये जो शामिल पत्रावली किये जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। नियत दिनांक को प्रार्थना पत्र पर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थना पत्र पर अपनी बहस में वकील प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण की भूमि मौके पर 3.10 बीघा कम है जो कि पड़ौसी खातेदारों ने दबा रखी है। इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर सीमाज्ञान व पत्थरगढी के आदेश फरमाये जावें। वकील अप्रार्थी सं. 2, 3 व 7 की ओर से अपनी बहस में जाहिर किया कि इस प्रकरण में पत्थरगढी व सीमा का विवाद मौके पर मौजूद नहीं है। उक्त प्रार्थना पत्र तब लाया जाता है जब कि विवाद हो। सही व वास्तविक स्थित स्पष्ट करने के लिए दोनों पक्षों की मौजूदगी में मौका रिपोर्ट मंगवाई जावे। यदि मौका रिपोर्ट मंगवाने पर प्रार्थीगण को एतराज है तो इसका अर्थ है कि प्रार्थीगण की मंशा सही नहीं है। इसलिए जब मौके पर विवाद ही नहीं है तो प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। अतः खारिज किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी

वकील प्रार्थीगण ने हल्का पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 10.06.2016 का उल्लेख करते हुए पुनः कथन किया कि हल्का पटवारी जो सरकारी एजेन्सी है तथा तहसीलदार के आदेश से तैयार की गई है जिस रिपोर्ट में हमारी कृषि भूमि मौके पर 3.10 बीघा कम होने का तथ्य अंकित है। जहां तक हमारी सींव में बड़े–बड़े पेड़ पौधों का प्रश्न है जो कि मौसम के अनुसार उग जाते हैं। इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे। वकील अप्रार्थीगण ने पुनः कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये सीमांकन के लिए centre point कायम किया जावे एवं उसी centre point के आधार पर आसपास के सभी खसरों की सुसंगत पैमाईश करवाई जावे।

प्रार्थना पत्र पर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली पर पेश दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया। जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 ग्राम सोमासी ख.नं. 97, 125, 154, 157, 170, 172 व 174 रोही ग्राम सोमासी तहसील चूरू की कुल रकबा 31 बीघा 12 विश्वा में प्रार्थीगण रामचन्द्र कानाराम पि. चिमनाराम ब.हि.ब. कौम जाट सा. देह खातेदार अंकित हैं। उपरोक्त जमाबन्दी के अवलोकन से यह बात स्पष्ट है कि वादगत कृषि भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि है तथा नियमानुसार प्रार्थीगण को सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी कराने का अधिकार है। प्रकरण में अप्रार्थी सं. 8 से 10 तक के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही हो चुकी है। उपस्थित अप्रार्थी सं. 4 से 6 ने प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र पर अपनी सहमति प्रदान की है। अप्रार्थीगण संख्या 2, 3 व 7 ने भी अपने जवाब में ऐसा कोई तथ्य या दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे सीमाज्ञान व पत्थरगढी करवाया जाना उचित नहीं हो। साथ ही वकील अप्रार्थी सं. 2, 3 व 7 की ओर से बहस में भी कथन किया गया है कि centre point कायम किया जाकर आसपास के समस्त खसरों की पैमाईश की जानी चाहिए। इसलिए प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र उचित प्रतीत होता है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से खातेदारों के अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नहीं है तथा न ही किसी प्रकार के अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए न्याय के नैसर्गिक सिद्वान्त के मध्यनजर प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य है।

आदेश

प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, चूरू को आदेश दिये जाते हैं कि रोही सोमासी तहसील चूरू के खसरा ख.नं. 97, 125, 154, 157, 170, 172 व 174 कुल तादादी 31 बीघा 12 विश्वा एवं उसके चारों तरफ के समस्त खसरा भूमियों की नपती हेतु प्रार्थीगण से नियमानुसार निर्धारित शुल्क जमा करवाया जाकर सम्बन्धित पटवारी एवं भू–अभिलेख निरीक्षक की टीम गठित कर उभयपक्ष की उपस्थिति में केन्द्र बिन्दु कायम करते हुए विधिवत पैमाईश एवं पत्थरगढी करावें।

आदेश आज दिनांक 23.11.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुली अदालत में सुनाया गया।

(श्वेता कोचर)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू